न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 122/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

रिलायंस एसेट रिकन्सट्रेक्शन कम्पनी लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी शंकर कुमावत **पंजीकृत कार्यालयः–** 11वीं मंजिल, नोर्थ साईड, आर–टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव, (पूर्व), मुम्बई महाराष्ट्र–400063

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **औंकार सिंह पुत्र दान सिंह,** पता– 74, बालाजी मन्दिर के पास, वार्ड नम्बर 3, शेखावत मोहल्ला, पालवास, सीकर, राजस्थान–332042
2. **कुनण कंवर पत्नि औंकार सिंह,** पता– 74, बालाजी मन्दिर के पास, वार्ड नम्बर 3, शेखावत मोहल्ला, पालवास, सीकर, राजस्थान–332042
3. **नन्दू सिंह पुत्र औंकार सिंह,** पता– 74, बालाजी मन्दिर के पास, वार्ड नम्बर 3, शेखावत मोहल्ला, पालवास, सीकर, राजस्थान–332042
4. **संतोष देवी पत्नि लालचंद खरिया,** पता– रामदेव कॉलोनी, सबलपुरा, सीकर, राजस्थान–332001

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

–अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः– 07 जुलाई, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री विक्रम सिंह** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **औंकार सिंह पुत्र दान सिंह, कुनण कंवर पत्नि औंकार सिंह, नन्दू सिंह पुत्र औंकार सिंह** एवं **संतोष देवी पत्नि लालचंद खरिया** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **औंकार सिंह पुत्र दान सिंह** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **पट्टा नम्बर 63, बुक संख्या 30, मिसल नम्बर 163, संकल्प नम्बर 1 (20.01.2018), ग्राम पंचायत कंवरपुरा, पंचायत समिति धोद, सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 224 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में बक्स

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सिंह का मकान, दक्षिण दिशा में शिव सिंह पुत्र अमर सिंह का मकान, पूरब दिशा में आम रास्ता एवं पश्चिम दिशा में आम रास्ता स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक बनाकर **कुल ₹3,50,000/– (अक्षरे रूपये तीन लाख पचास हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **24.12.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **24.12.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **औंकार सिंह पुत्र दान सिंह, कुनण कंवर पत्नि औंकार सिंह, नन्दू सिंह पुत्र औंकार सिंह** एवं **संतोष देवी पत्नि लालचंद खरिया** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **औंकार सिंह पुत्र दान सिंह** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **पट्टा नम्बर 63, बुक संख्या 30, मिसल नम्बर 163, संकल्प नम्बर 1 (20.01.2018), ग्राम पंचायत कंवरपुरा, पंचायत समिति धोद, सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 224 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में बक्स सिंह का मकान, दक्षिण दिशा में शिव सिंह पुत्र अमर सिंह का मकान, पूरब दिशा में

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

आम रास्ता एवं पश्चिम दिशा में आम रास्ता स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **07 जुलाई, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर